प्रस्तावना

समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय स्तर पर विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय जन्य विषमता विविध स्वरूपों में परिलक्षित हुई है। समुन्नत अर्थतंत्र की अपेक्षा संसाधन विपन्न विकासशील अर्थतंत्र में ध्रुवीकरण प्रक्रिया के अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह विषमता अत्यधिक तीव्र हुई है। (सिंह, आर0 वी0 1988) फलतः भूगोल में प्रादेशिक समन्वय की संकल्पना के स्थापित होने के साथ ही प्रादेशिक भिन्नता से सम्बन्धित क्षेत्रीय आयाम वाली समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति बढी है। विकासशील देशों में जहाँ उनके विकास की भूवैन्यासिक विधा उत्तरोत्तर असंतुलित होती गयी, वहां क्षेत्रीय संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ उनके संतुलित एवं वहुआयामी विकास हेतु क्षेत्रीय नियोजन अत्यन्त आवश्यक समझा जाने लगा।

भारत ग्रामों का देश है, जिस देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती हो, वहाँ ग्रामीण विकास को पूरा किए बिना सामाजिक पुनर्निर्माण की कल्पना अर्थहीन है। दुर्भाग्य से भारत का ग्रामीण जीवन एक लम्बी अवधि तक उपेक्षित रहा है। यह गरीवी,वेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा , भ्रष्टाचार, कुपोषण, रूढिवादिता, आधारभूत सुविधाओं की कमी, अल्पवृष्टि,अनावृष्टि एवं बाढ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निरंतर जुझ रहा है। फलतः ग्रामों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। कई दृष्टियों से नगरीय क्षेत्रों की अनेकों समस्याओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से यही पलायन जिम्मेदार है। इसको कम करने के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है।

ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु समन्वित ग्रामीण विकास आयोजना महत्वपूर्ण है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मात्र एक ही अभिगम के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। विभिन्न समय में, अभिगम विशेष के आधार पर विकास हेतु जो भी कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, वे एक पक्षीय रहें। एकांगी विकास संतुलन बिगाड़ता है। इसलिए क्षेत्र की प्रकृति के अनुरूप अभिगमों का समन्वय कर कार्यक्रमों को आयोजना के माध्यम से अपनाया जाता है। विगत योजनाओं में

हमारें योजनाविदों का ध्यान वित्तीय एवं वर्गीकृत आयोजना की ओर था। इससे प्रतिव्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन इनमें सभी वर्गों को समान लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथाा स्थानिक एवं लघु स्तरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में समन्वित ग्रामीण विकास में अपनाए जाने वाली आयोजनाओं का सामान्य विवेचन अपेक्षित है। वास्तव में विकास खण्डों की स्थापना का मुख्य आधार आर्थिक–सामाजिक विकास तथा आर्थिक योजनाओं की महत्वपूर्ण दिशा देना है। विकास खण्ड के पदानुक्रम में न्याय पंचायत, ग्राम सभा तथा ग्राम आते है। विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा इन्हीं लघु स्तरों पर तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में अधिक सुविधा होगी।

क्षेत्र, प्रदेश की एक छोटी देशिक इकाई होती है और इस स्तर पर समन्वित कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन का व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सरल और अधिक यथार्थपूर्ण होता है। क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों यथा पूंजी, श्रम एवं अन्य उत्पादन के कारकों का अनुकूलतम उपयोग एवं जन–साधारण की सहभागिता सुनिश्चित कर क्षेत्रीय नियोजन की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। भूगोंल के क्षेत्र में समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योकि भूगोल सभी सम्बन्धित विषयों से उपलब्ध सूचनाओं, आंकड़ों तथा ज्ञान का क्षेत्रीय इकाई के सन्दर्भ में विश्लेषण कर उनमें व्याप्त मौलिक अन्तप्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के संसाधनों का उपयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करने के विविध प्रयास किए गए (मित्रा,ए0,1972)। फिर भी यहां के विभिन्न भागों में प्रति व्यक्ति आय, नगरीय संख्या, साक्षरता, कृषि विकास, औद्योगिक विकास बेरोजगारी, जीवन स्तर आदि पक्षों में अधिक असमानता पायी जाती है। ऐसी स्थिति में विकास प्रक्रिया के साथ ही जन–साधारण के जीवन स्तर में सुधार, क्षेत्रीय संसाधनों का समुचित उपयोग, पारिस्थतिकीय संतुलन, सामाजिक सुविधाओं एवं सेवाओं के तर्कसंगत तथा विकास उत्प्रेरक वितरण आदि के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना आधारी पक्ष बनता गया। इस हेतु नियोजित प्रादेशिक विकास का समन्वित क्षेत्रीय आयाम के साथ जोड़ा गया। भारत में अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम विकास हेतु 1950

में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसमें प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में प्रादेशिक नियोजन पर ध्यान दिया गया, परन्तु देश के सर्वांगिंण विकास हेतु केन्द्रीय स्तर पर मुख्यतः एकल स्तरीय नियोजन के कार्यक्रम अपनाये गयें। जिसके परिणाम स्वरूप देश में नियोजन प्रक्रिया प्रखण्डात्मक बनकर रह गयी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय बजट का निर्धारण प्रखण्डात्मक रहा है (सेन,एल0के01975) इस प्रकार नियोजन की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय करण होने के कारण राज्य, जनपद, विकास खण्ड, ग्राम आदि स्तर पर विकास योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया को महत्व नहीं दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ग्राम्य जीवन सुधार एवं आर्थिक विकास की दिशा में श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर (शान्ति निकेतन द्वारा) एवं महात्मा गांधी (ग्रामोद्योग) द्वारा अनेक प्रयास किए गए, गांधी जी के शब्दों में "देश का विकास ग्रामों के विकास में निहित है, अतः यदि देश का विकास चाहते हो तो गाँवों की ओर चलो" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किए गये। पंचवर्षीय योजना के समय "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" 2 अक्टूबर 1952 को प्रारम्भ किया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत का समन्वित विकास करना था। सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यक्रम यथा समन्वित विकास कार्यक्रम, समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम, विशिष्ट क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम एवं लघुकृषक विकास एजेन्सियां गहन कृषि जनपद कार्यक्रम आदि संचालित किए गए है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थान यथा–एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली, विभिन्न राज्यों के राज्य नियोजन संस्थान एवं एन0आई0सी0डी0 हैदराबाद आदि के कार्य विशेष महत्वपूर्ण रहे है।

साहित्य का पुनरावलोकनः–

विभिन्न विद्वानों ने समन्वित ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शोधकार्य व शोध पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें भट्ट एल.एस. (1965), राम,एल.एन. (1967), प्रसाद, हर (1976),शर्मा, एस.के.एवं मल्होत्रा, एस.एल.(1979), कायस्थ,एस.एल. व सिंह रामबाबू (1980), सिंह.पी. एन. (1980), मिश्रा, आर.पी.एण्ड सुन्दरम वी.के. (1980), तिवारी, वी0आर(1981), भावे,जे.पी. (1981), चौहान, एस.एन.(1985), दूबे,

वेचन एवं सिंह मंगला,(1985), चौहान, टी.एस.(1988), त्रिपाठी, श्री विलास (1984), सिंह शिवशंकर (1997), प्रसाद गोविन्द (1997), पाठक, गणेश कुमार (1993), श्रीवास्तव, दिलीप कुमार (1992), डेहरे, टी.आर. (1998), शुक्ल, जर्नादन (2000),गुप्ता, राकेश कुमार (2000) आदि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पी.एच.डी. शोध प्रवन्ध एवं गाडगिल डी.(1967), अय्यर पाण्डेय एवं दूबे (1969), पाल एम.एन. (1964), योजना आयोग (1967), मिश्रा सुन्दरम् एवं प्रकाश राव (1974), सेन, ललित के. (1976) भट्ट एल.एस. (1976), मिश्रा आर.पी. (1978), शर्मा ए.एन. (1981), सेन एल.के. एवं सहयोगी (1975), सिंह जे. (1979), कुलकर्णी, एम.आर. (1971), सिंह एवं दूबे (1985), इरशाद, डब्लू, (1960),फ्रीडमैन (1964), सेन, एल.के. वनमाली. एस. मिश्राा, जी. एवं रमेश के. एस. मुखर्जी बी. (1965), प्रकाशराव (1976), मुखर्जी, पी. ए. (1968), हैगेट, पी. (1975), अरोरा, आर.सी. (1978), अग्रहरी, आर.बी. (1991) आदि विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र विशेष उल्लेखनीय है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक नियोजन एवं समन्वित ग्रामीण विकास समवन्धी अध्ययनों नें विशेष रूचि प्रदान की गयी है, जिसमें एन.आई सी.डी. हैदरावाद, वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम विशेप उल्लेखनीय है।

क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन की संकल्पना भूगोल, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से प्रस्फुटित हुई है। इस संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि 1950 से वर्तमान समय तक समन्वित क्षेत्रीय विकास की अवधारण विभिन्न आयामों से होकर गुजरती है।

1950–60 के दशक में हंश वास्च महोदय सम्भवतः प्रथम विद्वान थे, जिन्होनें समन्वित क्षेत्रीय विकास की संकल्पना के प्रतिपादक के रूप में विख्यात हुए। इन्होनें सन् 1952 में केन्द्रीय कार्यो की भूमिका को स्वीकार किया। जिससे लघु क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक सुविधाओं के विकास का कार्य अग्रसर हुआ (वोस्च,एच, 1952)। सर्वप्रथम क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत यूरोपीय देशो यथा वोल्गारिया, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया आदि देशों में अवस्थिति के उपयोग हेतु केन्द्रस्थल सिद्धान्त को अपनाया गया। समन्वित क्षेत्रीय विकास उपागम को सन् 1960 तक यूरोप के सभी राष्ट्रों में स्वीकार किया गया। जिससे ये संकल्पना अध्ययन का प्रमुख अंग बन गया।

1960–70 के दशक में समन्वित क्षेत्रीय विकास के रूप में फ्रांस तथा जर्मनी में नगरीय तथा ग्रामीण विकास योजनाएँ प्रयुक्त की गयी। सन् 1963 में एण्डरसन ने जर्मनी में समन्वित क्षेत्रीय विकास उपागम के माध्यम से नगरीय–ग्रामीण नियोजन के क्रियान्वयन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए (एण्डरसन,एन.1963)। सन् 1965 में ही नेशनल कौंसिल ऑफ अप्लायड इकोनामिक रिसर्च ने बाजार नगर तथा क्षेत्रीय नियोजन पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सन् 1965 मे शास्त्री, एम.वी. आर. ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आर्थिक नियोजन हेतु दो मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें एक राष्ट्रीय स्तर पर एवं दूसरा प्रादेशिक स्तर का था। सम्भवतः भारत में समन्वित क्षेत्रीय विकास संकल्पना की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। 1968 में हिलिंग, जे.वी. ने वेल्स के लिए समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास हेतु एक योजना प्रस्तुत की यूरोप में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित क्षेत्रीय विकास हेतु सन् 1969 में गुन्नार मिर्डाल ने प्रादेशिक नियोजन तथा आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना आवश्यक बताया। इसी वर्ष चीन में स्कीनर ने बाजार केन्द्रो के समानान्तर विकसित अधिवासों के आधार पर कार्य किया।

1970–80 के दशक में भूगोलविदों, अर्थशास्त्रीयों, क्षेत्रीय नियोजन विदों एवं समाजशास्त्रियों ने समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया। फलतः क्षेत्रीय विकास की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सन् 1970 में बोस ए.एन. ने भारत में अविकसित क्षेत्रों के विकास हेतु इंन्स्टीच्यूशनल बाटलनेक कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किए। समन्वित क्षेत्रीय विकास पर नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट, हैदराबाद द्वारा सन् 1970 में वनमाली, एस. का शोध कार्य प्रकाशित हुआ, जिसमें सामाजिक सुविधाओं को क्षेत्रीय योजनान्तर्गत अपनाये जाने हेतु केन्द्रस्थल सिद्धान्त को भारतीय परिवेश में परीक्षण स्वरूप देखा गया। 1971 में वनमाली एस. ने अधिवासों के नियोजित कार्यक्रम को श्रेणीबद्ध किया इसके बाद सेन तथा अन्य भूगोलविदों तथा नियोजकों ने ग्रामीण वृद्धि केन्द्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु रणनीति तैयार किया एवं समन्वित क्षेत्रीय विकास हेतु उपाय निर्धारित किए। इस कार्य में विभिन्न नियोजन कर्ताओं जैसे राय, वर्मन, चन्द्रशेखर ने अपना योगदान दिया

इसके वाद 1972 में चक्रवर्ती, सेन,दास व सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रीय विकास को लघु स्तर पर अध्ययन करने की रणनीति सुझायी। सन् 1973 में पाठक, सी.आर. एवं 1974 में सेन एल. के . व मिश्रा जी.के ने ग्रामीण विद्युतीकरणय के विकास के साथ कृषि, उद्योग और सामाजिक सुविधाओं पर अपने शोध कार्य प्रस्तुत किये।

समन्वित क्षेत्रीय विकास की आधार भूत संकल्पनाओं से सम्वन्धित और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक सुविधाओं के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु 1975 में पटेल एम.एल ने अपना योगदान दिया। 1976 में सेन तथा अन्य शोधकत्ताओं द्वारा जनपद स्तरीय योजनाएं बनायी गयी। 1976 में ही भट्ट द्वारा इससे सम्वन्धित शोधपत्र प्रकाशित हुआ। 'इण्डियन इन्सटीच्यूट आफ प्लानिंग एममिनिस्ट्रेशन' द्वारा भी 1977 में जनपद स्तरीय नियोजन के सम्बन्ध में कुछ साहित्य का प्रकाशन हुआ, जिसमें मण्डल, एस. तथा काबरा, के.एन. द्वारा लिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय है। विकास खण्डीय नियोजन हेतु राय, पी. तथा पाटिल, बी. आर. ने नवीन प्राविधि का निर्माण किया। पश्चिम बंगाल में " एसोसियेशन आफ वोलेन्टोरिज एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेन्ट" ने बालपुर विकास खण्ड के लिए समन्वित विकास हेतु समन्वित क्षेत्रीय विकास नियोजन हेतु एक विधितंत्र विकसित किया।

1980–90 के दशक में क्षेत्रीय विकास की संकल्पनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई । 1980 में सिंह आर.एन.तथा पाठक, आर. के. ने समन्वित क्षेत्रीय विकास योजना हेतु विविध आधारभूत संकल्पनाएं प्रस्तुत की । इसी वर्ष मिश्रा, आर. पी तथा सुन्दरम्,के.बी ने भारत में बंहुस्तरीय नियोजन एवं समन्वित ग्रामीण विकास पर अपना कार्य प्रकाशित किया। यूनाइटेड नेशन्स पैसिफिक डेवलपमेन्ट इन्स्टीच्यूट, बैंकाक द्वारा स्थानीय स्तर पर नियोजन और आर्थिक विकास पर समानान्तर रणनीति प्रस्तुत की गयी। 1983 में दीक्षित, आर.एस. ने बाजार केन्द्रो की भूमिका और प्रादेशिक विकास पर कार्य किया। 1984 में चतुर्वेदी आर.वी. प्रसाद, एम. एवं सिंह एच.एल. ने ग्रामीण स्तर तथा चन्द्राकर ने विकास खण्ड स्तर पर एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्तुत की । 1985 में मिश्रा, एस.पी. 1986 में सिंह आई आर 1987 में वशिष्ट वी.के एवं अंवरीष ए.सी. ने प्रादेशिक नियोजन पर अपना कार्य प्रस्तुत किया। 1990 में पाठक, आर.के. ने जनपद स्तर पर वातावरण नियोजन

संसाधन तथा विकास पर समन्वित क्षेत्रीय विकास परिप्रेक्ष्य में अपना शोध कार्य प्रकाशित किया। 1993 में पाठक, गणेश कुमार ने सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु अपना महत्वपूर्ण शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया तथा अनेक शोध पत्रों का भी प्रकाशन कराया।

अध्ययन का उद्देश्यः–

समन्वित ग्रामीण विकास नीति का केन्द्रीय लक्ष्य श्रम एवं प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग है। इस प्रकार ये तीन तत्व इसके लक्ष्य के प्रमुख अंग है यथा–

1. उत्पादन में सहायक क्रियाकलाप जैसे–सिंचाई, जोत, यंत्रीकरण, पशुधन, उर्वरक, ग्रामीण साख, प्राविधिकी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण ।
2. भौतिक अवस्थापना–सड़क, जलापूर्ति आदि।
3. सामाजिक अवस्थापना–परिवार नियोजन, ग्रामीण शिक्षा, मनोरंजन आदि।

विभिन्न अभिगमों के माध्यमों से विकास के विभिन्न घटकों का समन्वय ही इसका मुख्य आधार है।

अध्ययन हेतु चयनित विकास खण्ड (जनपद बलिया) पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा भाग है। इस अध्ययन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवंग्राम को आधारभूत इकाई माना गया है। जिसका उद्देश्य विकासखण्ड में ग्रामीण विकास की वर्तमान विभिन्न दशाओं, समस्याओं एवं संभावनाओं का ऑकलन करना है। इसके साथ ही साथ क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आयोजना सुनिश्चित करना है इस संदर्भ में विकास खण्ड के विभिन्न संसाधनो, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का परीक्षण, सम्पूर्ण संसाधन आधार, उनकी विकासीय दर, आर्थिक संतुलन आवश्यकताओं एवं समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरान्त सम्पूर्ण विकास खण्ड के विकास हेतु विकास के विभिन्न अवस्थापनाओं की आयोजना प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार की समन्वित ग्रामीण विकास की आयोजना इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी।

आँकड़ों का संकलनः–

चयनित विकास खण्ड के अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। भूमि उपयोग, कृषि, सिंचाई एवं जनसंख्या आदि के

विश्लेषण हेतु प्रचलित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। चयनित ग्रामों के सन्दर्भ में प्रश्निकाओं का प्रयोग किया गया है। सेवा क्षेत्रों के निर्धारण में भी ग्राम्य स्तरीय निर्भरता और सेवा क्षेत्र निर्धारण हेतु जनइच्छा का सर्वेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यक्तियों द्वारा सूचनाएँ एकत्रित की गयी है। अन्य तथ्यों यथा मृदा सर्वेक्षण, भौतिक प्रदेश एवं अन्तर्सम्बन्ध, जनसंख्या, आयु, वैवाहिक संरचना, विकास सुविधाओं उद्योग, सेवा केन्द्र निर्धारण एवं सेवा क्षेत्र सीमांकन और नियोजन आदि का अध्ययन क्षेत्रीय विषमताओं पर ध्यान रखकर किया गया है। सम्पूर्ण अध्ययन मौलिक है, जिसमें सांख्यिकीय परिकल्पना एवं मानचित्रण स्वयं किया गया है। विकास प्रक्रिया के गणना हेतु 1971, 1981 एवं1991 को आधार वर्ष माना गया है। प्राथमिक ऑकड़ों हेतु 1998–99 का वर्ष आधार माना गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, बैंक तथा सहकारिता इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन न्याय पंचायतवार किया गया है। तदुपरान्त इन आंकड़ों को यथा स्थान विश्लेषण हेतु लिया गया है। भू–वैज्ञानिक सूचनाये, जलवायु, मिट्टी, वन, उद्यानिकी, उद्योग इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण सरकारी तथा गैर सरकारी स्रोतों से किया गया है।

विधितंत्रः–

अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित विविध कार्यक्रमों तथा प्रयासों में कई समस्यायें स्वभावतः उत्पन्न हुई है। इन समस्या के समाधान हेतु समन्वित क्षेत्रीय विकास को लघु स्तरीय नियोजन द्वारा विश्लेषित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में समन्वित ग्रामीण विकास योजना की प्रक्रिया में विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास हेतु आयोजना के निरूपण तथा समस्याओं के उपयुक्त समाधान के लिए विधितंत्र को निम्न दो शीर्षकों में प्रस्तुत किया गया हैः–

1. अध्ययन इकाईः–

भौतिक वातावरण के तत्वों जैसे, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टियों के विश्लेषण तथा अध्ययन के लिए रेवती विकास खण्ड को एक इकाई माना गया है, सामान्यतः प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव सभी स्थानों पर समान नहीं होता है एवं उनके प्रभावों के कारण भिन्नताएं स्पष्ट

परिलक्षित होती है। भौतिक वातावरण के प्रभावों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन के लिए न्याय पंचायत को एक इकाई मानकर सामाजिक तत्व यथा–जनसंख्या आदि का विश्लेषण किया गया है।

2. मानचितत्र तकनीकः–

अध्ययन क्षेत्र की धरातलीय संरचना एवं प्रवाह प्रगाली के विश्लेषण के लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों की सहायता ली गयी है। अधिवासों एवं परिवहन के साधनों को स्थलाकृतिक मानचित्रों का आधार लेकर नव निर्म्माण द्वारा हुए परिवर्तन को जिला मुख्यालय तहसीलमुख्यालय, एवं विकासखण्ड मुख्यालय में उपलब्ध मजमूली मानचित्रों की सहायता से प्रस्तुत किये गये है। शोधकर्ता ने समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन प्रक्रिया से प्राप्त निष्कर्षो को मानचित्रों एवं सांख्यिकी की आधुनिक प्रविधियों की सहायता से प्रस्तुत किया है ताकि अध्ययन क्षेत्र की वर्तमान दशा के साथ विकास योजना की संस्तुतियों को सरलता एवं स्पष्टता से समझा जा सके।

प्रस्तुतीकरणः–

प्रस्तुत अध्ययन में कुल सात अध्याय है। प्रस्तावना एवं उपसंहार इसके अलावा है। भौगोलिक–पृष्ठभूमि के अन्तर्गत भौतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थापना तथा आयोजना के अन्तर्गत सामाजिक–आर्थिक सुविधाएं, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, उद्योग, कृषि आदि के विकास की आयोजनाएं तथा समन्वित आयोजना के सुझाव प्रस्तुत किए गए है।

प्रथम अध्याय के भौतिक व्यवस्थापन में विकास खण्ड की स्थिति एवं विस्तार, संरचना, भौतिक स्वरूप, जलप्रवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी एंव वनस्पति का वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक व्यवस्थापन के अंतर्गत क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या–वृद्धि, लिंग–संरचना, अनुसूचित जाति, शिक्षा एवं विकास खण्ड की व्यवसायिक संरचना का विस्तृत वर्णन किया गया है।

द्वितीय अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र का विकास स्तर, सेवाकेन्द्र, सामाजिक–आर्थिक सेवाएं–शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार एवं मनोरंजन, कृषि, वित्त, विद्युतीकरण तथा प्रशासनिक सुविधाएं, बाजार आदि का विवेचना एवं उनकी आयोजना प्रस्तुत की गयी है।

तृतीय अध्याय में परिवहन एवं संचार की सुविधाओं के विकास की आयेाजना प्रस्तुत की गयी है। जिसमें क्षेत्र की परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, अभिगम्यता एवं उनकी आयोजना प्रस्तुत है।

चतुर्थ अध्याय में विकास खण्ड की कृषि के विकास की आयोजना का सुझाव दिया गया है। जिसमें क्षेत्र का सामान्य भू–उपयोग, शस्य वितरण–प्रतिरूप, शस्य कोटिक्रम, शस्य–गहनता, शस्य संयोजन प्रदेश, शस्य स्वरूप एवं वितरण हेतु आयोजना, कृषि तकनीक एवं विकास खण्ड की कृषि–विकास आयोजना प्ररतुत की गयी है।

पंचम अध्याय में औद्योगिक–अवस्थापना के विकास की आयोजना का विवेचन है। जिसके अंतर्गत विकास खण्ड में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धें, औद्योगिक–विकास की समस्याएं ग्रामीण औद्योगिकरण की तकनीक तथा उद्योग–नियोजन के अंतर्गत क्षेत्र में स्थित संसाधनों पर आधारित एवं मांग पर आधारित उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। छठें अध्याय में चयनित ग्रामों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

सातवें अध्याय में समन्वित–आयोजना के सुझाव प्रस्तुत किए गये है। समन्वित आयोजना द्वारा ही क्षेत्र का समग्र विकास सम्भव है इसके अंतर्गत जल संसाधन प्रबंध की आयोजना जिसमें सिचाई, पर्यटन एवं मत्स्य पालन की आयोजना, कृषि–आयोजना, पशुधन विकास आयोजना, उद्योग–आयोजना, सेवाकेन्द्र आयोजना, सामाजिक आर्थिक सेवाओं की आयेाजना एवं जनसंख्या आयोजना द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्ताव किया गया है।

इस प्रकार सात अध्यायों की विवेचना के उपरान्त आठवें अध्याय में अध्ययन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात् कुछ तकनीकी शब्द, परिशिष्ट एवं चयनित संदर्भ ग्रन्थों की सूची प्रस्तुत की गयी है।

सन्दर्भ-सूची

1. अरोरा, आर0सी0, 1979 : "सम्बधित ग्रामीण विकास" एस0चन्द एण्ड कम्पनी,नयी दिल्ली।

2. एकीकृत ग्रामीण विकास, 1979 : "कार्यक्रम मार्ग दर्शिका एवं समेकित अनुदेश" उ0प्र0 सरकार, ग्रामीण विकास विभाग,लखनऊ। पृ0 1

3. कमलेश, एस0आर0,1996 : "कृषि भूगोल" विलासपुर सम्भाग में कृषि विकास का स्तर एक भौगोलिक अध्ययन। पृ0 102।

4. कायस्थ, एस0एल0 एण्ड सिंह, रामबाबू 1980 : "डाइमेन्सन आफ इन्टेग्रटेड रूरल डेवलपमेन्ट" एन0जी0 एस0 आई0 स्पेशल इश्यू ऑफ हैविटाट ए डेवलपमेन्ट, एन0 जी0 आई0 वी0 एच0यू0 वाराणसी। पृ0 48।

5. खान, डब्लू0 एण्ड रमेश के0 एस0, 1976 : "इन्टेग्रटेड एरिया डेवलपमेन्ट प्लान फार द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मनीपुर" एन0 आई0 सी0 डी0, हैदराबाद।

6. गुप्ता, राकेश कुमार, 2000 : "बांदा जनपद का समन्वित क्षेत्रीय विकास" अप्रकाशित शोध ग्रन्थ पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

7. चौहान, टी0एस0, 1988 : "इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेन्ट प्लान" दिव्य ज्योति प्रकाशन, जोधपुर।

8. डेहरे, टी. आर., 1998. : "क्षेत्रीय नियोजन और समन्वित विकास" शिवनाथ वेसिन (म.प्र.) का प्रतीक अध्ययन वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर,पृष्ठ I, II

9. तिवारी, पी.सी., 1988 : " रिजनल डेवलपमेन्ट एण्ड प्लानिंग इन इण्डिया क्रिटेरियन पब्लिकेशन्स, मेरठ।

10. तिवारी,वी.आर.,1981 : "कोआर्डिनेशन एक्शन एण्ड इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट" कुरूक्षेत्र, जनवरी।

11. दुभाषी, पी.आर., 1984 : "क्षेत्रीय आयोजना" योजना 1 जुलाई

12. दूबे, बेचन एवं सिंह, मंगला : "समन्वित ग्रामीण विकास" जीवन धारा प्रकाशन, वाराणसी।

13. पाठक, कृष्ण कान्त, 1991 : "ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अशिक्षा की समस्याएँ एवं समाधान कुरूक्षेत्र, जनवरी, पृ0 49

14. पाठक, गणेश कुमार 1984 : "समन्वित ग्रामीण विकास में सेवाकेन्द्रों की भूमिक, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय नयी दिल्ली योजना वर्ष 29 अंक 9

15. पाठक, गणेश कुमार, 1993 : "बलिया जनपद (उ.प्र.) के सेवाकेन्द्रों की भूमिका विकास में उनका योगदान" एक भौगोलिक अध्ययन अप्रकाशित शोधग्रंथ अवध वि.वि. फैजाबाद।

16. पाठक,गणेश कुमार, 1998 : "बलिया जनपउ उ.प्र. में सेवाकेन्द्रों का कार्यात्मक वर्गीकरण" उ.भा. भूगोल पत्रिका अंक 34 संख्या 1–2 पृ0 70–85.

17. मिश्रा, आर.पी. एवं अन्य : 1985 "रूरल डेवलपमेन्ट" कैपलिस्ट एण्ड लिस्ट पाक्स, वाल्यूम–1,कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी नयी दिल्ली।

18. शर्मा, एस0के0 एवं मलहोत्रा एस0 एल0, 1979 : "इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट एप्रोच स्ट्रेट जो प्रास्पेक्टिव" अभिनव पब्लिकेशन, नयी दिल्ली।

19. शुक्ल, जर्नादन, 2000 : "आवर्ती विपणन केन्द्र और ग्रामीण विकास" बलिया जनपद (उ.प्र.) का प्रतीक अध्ययन अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

20. सिंह, आर0बी0 1988 : "इन्टेग्रेटेड एरिया डेवलपमेन्ट एण्ड ज्योग्राफ जियो–साइन्स जर्नल, एन.जी.ए. आई.

वाराणसी, जुलाई पृष्ठ57

21. सिंह, मंगला 1981 : "जनपद आजमगढ़ (उ.प्र.) में ग्रामीण अधिष्ठान का रूपान्तरण (एक भौगोलिक अध्ययन) पी.एच.डी. शोध अप्रकाशित काशी हिन्दू वि.वि. वाराणसी।

22. सेन, एल.के. 1975 : ग्रोथ सेन्टर इन रैपर ऐन इन्टेग्रटेड एरिया डेवलपमेन्ट प्लान फार ए डिस्ट्रक्ट आफ कर्नाटक, एन. आई.सी.डी. हैदरावाद, पृ01--2

23. सेन, एल.के. एवं अन्य, 1972 : "माइक्रो लेवेल प्लानिंग एण्ड रूरल सेन्टर्स फार इन्टेग्रेटेड एरिया डेवलपमेन्ट" ए स्टडी इन मिराल मुदा तालुका" एन0 आई0 सी0 डी हैदराबाद।

24. श्रीवास्तव, दिलीप कुमार, 1993 : "विकास खण्ड बेरूआरबारी, बलिया का समन्वित ग्रामीण विकास हेतु आयोजना" अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

25. श्रीवास्तव दिलीप कुमार एवं पाठक, गणेश कुमार, 1991 "गरीबी के कारण और उसे दूर करने के उपाय" कुरूक्षेत्र, वर्ष 36, अंक 7

26. श्रीवास्तव, जी.सी. 1984 : "रूरल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट" चंग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद

27. त्रिपाठी एस.बी. 1994 : "रसड़ा विकास खण्ड (जनपद बलिया) का समन्वित क्षेत्रीय विकास", अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ0 260

28. त्रिपाठी, एस. 1985 एव. तिवारी आर सी0 : सेन्ट्रल प्लेस थ्योरी, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान,इलाहाबाद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्र।